

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व करेड़ा १ वत्तमान गांवों के संग अधिनियम-2021

भू अगिलेख निरीक्षक करेड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसीलदार - करेड़ा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा १ तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 में खाता संख्या 793 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	करेड़ा	793	श्री मगन मदन विहार सेवा ट्रस्ट राजा जी का करेड़ा	श्री मगन मदन विहार सेवा सफ़वान ट्रस्ट राजा जी का करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक:- 11/11/2021

क्रमांक/न्यायालय /2021/62

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री श्री मगन मदन विहार सेवा ट्रस्ट राजा जी का करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा
करेड़ा